रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2000/अग्रहायण 16, 1922
No. 790] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2000/AGRAHAYANA 16, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2000

का.आ. 1093(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए क्या अचिक नेशनल वालिंटियर कौंसिल (ए०एन०वी०सी०) और हिन्यूट्रेप नेशनल लिबरेशन कौंसिल (एच०एन०एल०सी०) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस०के० अग्रवाल की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 9/3/99-एन.ई.-I]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2000

S.O. 1093(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice S. K. Agarwal, Judge of the Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Achik National Volunteer Council (ANVC) and Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) as unlawful associations

[F. No. 9/3/99-NE-II]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

3333 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054